न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 35/2024

वाद दायरी दिनांक :— 01.05.2024

गोरधनराम पुत्र श्री लादूराम जाति जाट निवसी चुडी चतरपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

वादी

बनाम

1. श्याम सुन्दर पुत्र बिहारीलाल जाति ब्राहम्ण निवसी चुडी चतरपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
2. विनोद कुमार पुत्र बालकृष्ण उर्फ बालकिशन जाति ब्राहम्ण निवसी चुडी चतरपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
3. विमला पुत्री बालकृष्ण उर्फ बालकिशन जाति ब्राहम्ण निवसी चुडी चतरपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
4. अनिता पुत्री बनवारीलाल जाति ब्राहम्ण निवसी चुडी चतरपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
5. रेखा पुत्री बनवारीलाल जाति ब्राहम्ण निवसी चुडी चतरपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
6. मंजू देवी पत्नी बनवारीलाल जाति ब्राहम्ण निवसी चुडी चतरपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
7. मुकेश कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राहम्ण निवसी चुडी चतरपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
8. निश्चल पुत्र प्रमोद कुमार जाति ब्राहम्ण निवसी चुडी चतरपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
9. निशा पुत्री प्रमोद कुमार जाति ब्राहम्ण निवसी चुडी चतरपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
10. प्रियंका पुत्री प्रमोद कुमार जाति ब्राहम्ण निवसी चुडी चतरपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
11. सुमन पुत्री प्रमोद कुमार जाति ब्राहम्ण निवसी चुडी चतरपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
12. हरिराम पुत्र बिहारीलाल जाति ब्राहम्ण निवसी चुडी चतरपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
13. विक्रम पुत्र नन्दलाल जाति ब्राहम्ण निवसी चुडी चतरपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
14. आशा देवी पत्नी श्यामसुन्दर जाति ब्राहम्ण निवसी चुडी चतरपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
15. बैंक ऑफ बडौदा जरिये शाखा प्रबंधक शाखा कार्यालय चुडी चतरपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

वकील वादीगण— श्री महेन्द्र नेमीवाल एडवाकेट

प्रतिवादी गण वकीलः— श्री मुर्करम अंसारी एडवाकेट

दावा घोषणार्थ एंव स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

दिनांकः— 18.07.2024

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है किवाके ग्राम अजीतगढ पटवरा हल्का चुडी चतरपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में भूमि गत खसरा नम्बर 116 रकबा 4 बीघा तथा भूमि गत खसरा नम्बर 117 रकबा 3 विघा 12 विश्व कुल 7 बिघा 12 विश्वा भूमि स्थित है। जिसके हाल खसरा नम्बर 134 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.91 हैक्टर भूमि अवस्थित है।यह कि वाद पत्र की भूमि में पहले बाल किशन पुत्र केदरामल का 1/2 हिस्सा भूमि तथा श्याम सुन्दर, नन्दलाल व हरिराम पुत्रगण बिहारीलाल का 1/2 हिस्सा भूमि रहा था। वादी ने दिनांक 23/04/1992 को उक्त भूमि में से किशनलाल पुत्र केदारमल के 1/2 हिस्सा भूमि तथा प्रतिवादी संख्यश्यामसुन्दर पुत्र बिहारीलाल के 1/6 हिस्सा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23/04/1992 को खरीद कर उक्त भूमि पर कब्जा काश्त हो गया तब से उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में वादी वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि में अपने 2/3 हिस्सा भूमि पर कब्जा काश्त है।वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित सम्पूर्ण भूमि वादी ने बालकिशन पुत्र केदारमल तथा प्रतिवादी संख्या 1 श्यामसुन्दर पुत्र बिहारीलाल से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 23/04/1992 क्रय करने के बाद कब्जा प्राप्त कर लिया था तब से आज तक उक्त भूमि वादी ही काबिज काश्त करता आ रहा है। लेकिन उक्त वादी कम पढा लिखा होने के कारण उसने उक्त भूमि का इंतेकाल अपने नाम से दर्ज नहीं करवा सका इसलिए उक्त भूमि आज दिनांक तक बालकिशन पुत्र केदारमल व उसके वारिसान तथा प्रतिवादी संख्या 1 श्यामसुन्दर पुत्र बिहारीलाल के नाम से चली आ रही है जबकि उक्त बालकिशन पुत्र केदारमल तथा का स्वर्गवास हो चुका है। अब वादी ने उक्त भूमि पर लोन लेने के लिए उक्त भूमि की नकल निकलवाई तो वादी को पता चला की उक्त भूमि आज भी बालकिशन पुत्र केदारमल व उनके वारिसों तथा प्रतिवादी संख्या 1 श्यामसुन्दर पुत्र बिहारीलाल के नाम से दर्ज चली आ रही है। जबकि उक्त भूमि बालकिशन पुत्र केदारमल तथा श्यामसुन्दर पुत्र बिहारीलाल ने आज से 30 वर्ष पूर्व ही वादी को बेच दी थी तब से लेकर आज तक उक्त भूमि पर वादी मौके पर भौतिक रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी वादी को आज से पहले की नहीं रहीहै।प्रतिवादी संख्या 1 व बालकिशन ने वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित अपने खातेदारी काश्तकारी (टिनेन्सी) की भूमि मे से 1.22 हैक्टर भूमि वादी को विक्रय कर दी उसी दिन एक विक्रय पत्र 23/04/1992 वादी के हक में लिखवा कर उप पंजियक झुन्झुनू के समक्ष प्रस्तुत कर निष्पादित एवं पजिबद्ध करवा दिया। वादी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है। वादी उक्त भूमि का नामांतकरण अपने नाम दर्ज नहीं करवाया सका। उक्त विवादित भूमि पर वादी को विक्रय पत्र दिनांक 23/04/1992 के आधार पर खातेदारी काश्तकारी (टिनेन्सी) अधिकार प्राप्त है। वादी उक्त विवादित भूमि अपने क्रयशुदा हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है तथा उपयोग उपभोग में लेता रहा है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड वादी के हक में दर्ज नहीं हो सका। उक्त भूमि अभी तक प्रतिवादीगण 1 तथा बालकिशन पुत्र केदारमल के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 11 के नाम नाजायज व गैरकानूनी रूप से

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

दर्ज है। इसलिए अब वादी को वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 23/04/1992 के आधार पर 2/3 हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार (टिनेन्ट) घोषित फरमाया जावें।वादी ने दिनांक 06/02/2024 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड वादी हक में करवाये जाने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने साफ इन्कार कर दिया और कहा कि उक्त भूमि हमारे नाम से है उक्त भूमि को हम जबरन कब्जा कर उसे भूमाफियाओं को विक्रय करेंगे। अब प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 लाठी के बल पर उक्त विवादित भूमि से वादी को जबरन बेदखल कर उस पर कब्जा करने व नाजायज रूप से विक्रय करने पर आमादा है। अगर प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 ने ऐसा किया तो वादी की हक तलफी होगी वादी बरबाद हो जायेगा जिसकी पूर्ति नकदी या किसी भी तरीके से सम्भव नहीं होगी। प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 को उक्त भूमि से वादी को जबरन बेदखल कर उस पर कब्जा करने, नाजायज रूप से विक्रय या हस्तांतरण करने, वादी के शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग में बाधा पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी को उसके हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल ना करे, विक्रय व हस्तांतरण ना करे, वादी के कब्जा व उपयोग व उपभोग में कोई बाधा पैदा ना करें, ऐसा कोई कार्य स्वयं या अपने प्रतिनिधि से करवाये जिससे कि वादी के खातेदारी टिनेन्सी हको पर विपरीत असर पडे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।वादी द्वारा दिनांक 06/02/2024 को विक्रय पत्र दिनांक 23/04/1992 के आधार पर विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड वादी के हक में करने हेतु निवेदन किया इस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर वादी के हक में राजस्व रिकार्ड दर्ज करने से इन्कार करने और उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर उसे अन्यत्र विक्रय करने की धमकी देने के कारण श्रीमान जी की अदालत में यह दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।प्रतिवादी संख्या 15 के यहां भूमि रहन होने तथा प्रतिवादी संख्या 16 लैण्ड हॉल्डर होने की वजह से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।सिद्धि – यह कि वाद पत्र वादी डिक्री फरमाया जाकर वादी को वाकें ग्राम अजीतगढ पटवरा हल्का चुडी चतरपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में भूमि गत खसरा नम्बर 116 रकबा 4 बीघा तथा भूमि गत खसरा नम्बर 117 रकबा 3 बिघा 12 विश्व कुल 7 बिघा 12 विश्वा भूमि स्थित है। जिसके हाल खसरा नम्बर 134 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.91 हैक्टर भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 23/04/1992 के आधार पर तथा उक्त विक्रय पत्र में दर्ज 2/3 हिस्से के आधार पर खातेदार काश्तकार (टिनेन्ट) घोषित फरमाया जाने के आदेश प्रदान करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पावन्द किया गया प्रतिवादी न0 01 लगायत 14 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित तथा वाद वादी डिकी किये जाने पर सहमती आदेशिका पर अंकित की गई।

विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से वाद वादी स्वीकार किया जाकर कि वाके ग्राम अजीतगढ पटवरा हल्का चुडी चतरपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में भूमि गत खसरा नम्बर 116 रकबा 4 बीघा तथा भूमि गत खसरा नम्बर 117 रकबा 3 बिघा 12 विश्व कुल 7 बिघा 12 विश्वा भूमि स्थित है। जिसके हाल खसरा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

नम्बर 134 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.91 हैक्टर भूमि में से केवल मात्र भूमि ख. न. 134 रकबा 1.01 हैक्टर पर ही कब्जा काश्त है। अतः विक्रय पत्र दिनांक 23/04/1992 को आधार मानते हुए वादी के कब्जे काश्त के भूमि ख.न. 134 रकबा 1.01 हैक्टर का खातेदार काश्तकार (टिनेन्ट) घोषित फरमाया जाने का निवेदन किया।

विधि में भूमि के धोषणा के लिये निम्न प्रावधान है :—

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 घोषणार्थ का प्रावधान किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी के पूर्वज के द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 23/04/1992 के द्वारा विक्रय किया जाना विक्रय पत्र के आधार पर साबित है। प्रतिवादी गण की ओर से खसरा नम्बर 134 रकबा 1.01 हैक्टर वादी को दिये जाने बाबत आदेशिका पर टिप्पणी अंकित की है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी रूप आंशिक स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः विक्रय पत्र दिनांक 23/04/1992 एवं वादी एवं प्रतिवादीगण की आम सहमती के आधार पर ग्राम अजीतगढ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू में खेत ख.न. 134 रकबा 1.01 हैक्टर में खातेदार 01 लगायत 13 का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारी:–सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ

अन्तिम वाद डिकी

मुकदमा नम्बर :– राजस्व वाद संख्या 35/2024 गोरधनराम बनाम श्यामसुन्दर वगै.

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, सुप्रिया (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 04.07.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर विक्रय पत्र दिनांक 23/04/1992 एवं वादी एवं प्रतिवादीगण की आम सहमती के आधार पर ग्राम अजीतगढ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू में खेत ख.न. 134 रकबा 1.01 हैक्टर में खातेदार 01 लगायत 13 का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

वसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 18.07.2024 को जारी की गई।

सुप्रिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा